



## वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय  
जौनपुर।

पत्रांक: पू०वि०वि०/सम्ब/०१-(तीन)/२०१३/५००  
दिनांक: २/५/२०१३

सेवा में,

प्रबन्धक,  
रामनाथ धनंजय स्मारक महिला महाविद्यालय,  
जगदीशपुर, अतरौलिया, आजमगढ़।

विषय :-

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में चयनित विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-14.03.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति, एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारांपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई 2000 एवं यू०जी०सी० विनियम 2010 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 या 5 वर्ष की संविदा के आधार पर चयनित बी०एड० विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि इनके अंक-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त रागड़ा जायेगा।

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	बी०एड०
1	डॉ० एस०के० दत्ता	श्री सुनिल कुमार दत्ता	26.06.1970	एम०एड०, पी०एच-डी०	विभागाध्यक्ष
2	डॉ० छोट्टन सिंह चौधरी	श्री सम्पत सिंह	19.09.1978	एम०एड०, पी०एच-डी०	प्रवक्ता
3	श्री पंकज कुमार सिंह	श्री राज नारायण सिंह	07.10.1982	एम०एड०, नेट	प्रवक्ता
4	श्री राजेश गौड़	श्री प्रभुनाथ गौड़	07.06.1980	एम०एड०, नेट	प्रवक्ता
5	डॉ० खेम सिंह	श्री राजेश सिंह	10.06.1974	एम०एड०, पी०एच-डी०	प्रवक्ता
6	श्री विवेक कुमार मोर्य	श्री कैलाश नाथ मोर्य	10.07.1977	एम०एड०, नेट	प्रवक्ता
7	श्री दिलीप कुमार मोर्य	श्री राज कुमार मोर्य	20.05.1982	एम०एड०, नेट	प्रवक्ता
8	डॉ० बृजेश जोशी	श्री दामोदर लाल शर्मा	08.09.1983	एम०एड०, पी०एच-डी०	प्रवक्ता

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राम सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ़ीडेन्सी प्रोविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय  
कुलसचिव  
२/५/१३